

**Regarding need for a special comprehensive legal framework for Nagar Panchayats and Nagar Parishads in PESA areas especially in states like Maharashtra to protect the rights of tribal people- Laid**

एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी (नन्दुरबार) : यह अत्यंत आवश्यक है कि केंद्र सरकार पेसा (पीईएसए) क्षेत्रों में स्थित नगर पंचायतों और नगर परिषदों के लिए एक अलग तथा स्वतंत्र कानूनी ढांचा तैयार करे, विशेषकर महाराष्ट्र जैसे राज्यों में, जहाँ जनसंख्या वृद्धि तथा प्रशासनिक पुनर्संरचना के कारण अनेक ग्रामीण आदिवासी गाँवों को शहरी स्थानीय निकायों में परिवर्तित किया गया है। वर्तमान स्थिति में ये शहरी निकाय ऐसे किसी विशेष वैधानिक संरक्षण के अंतर्गत नहीं आते जो पेसा के सिद्धांतों के अनुरूप आदिवासी समुदायों की स्वायत्तता और सांस्कृतिक अधिकारों को सुरक्षित रख सके। परिणामस्वरूप, पेसा क्षेत्रों में गठित नगर पंचायतें और नगर परिषदें एक स्पष्ट कानूनी ढांचे के अभाव में कार्य कर रही हैं, जिससे अधिकारों का क्षरण, अधिकार क्षेत्र का टकराव, प्रशासनिक अस्पष्टता और आदिवासी निवासियों के लिए गंभीर व्यावहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं। कई राज्यों में निर्वाचन आयोगों ने इन निकायों के चुनाव भी प्रारम्भ कर दिए हैं, जबकि इनके विशिष्ट आदिवासी संदर्भ को मान्यता देने वाला कोई समर्पित कानून उपलब्ध नहीं है। इन परिस्थितियों को देखते हुए, केंद्र सरकार से आग्रह है कि पेसा निर्धारित अनुसूचित क्षेत्रों के शहरी निकायों के लिए एक विशेष, व्यापक और संरक्षणात्मक कानून बनाया जाए, जिससे आदिवासी समुदायों के अधिकार, सांस्कृतिक पहचान और संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित रह सके।